न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:—15/22 दायर दिनांक:— 09.03.2022

जीसीएमएस नं. 2022/88

राजश्री पुत्री गिर्राजप्रसाद आयु 47 साल, जाति जाटव निवासी — जाटव बस्ती हिण्डौनसिटी जिला करौली

——प्राथी

बनाम

राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित —1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता वकील वादी
2.पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक 28.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 392 तथा पुराना खाता संख्या 355 के अनुसार भूमि खसरा नं0 1548 रकवा 0.17 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें वादिया का नाम नामान्तकरण भरते समय सहवन से राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद हिस्सा 1/3 दर्ज है। जो कि वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद गलत दर्ज हो गया है। वादिया का सही एवं बास्तविक नाम राजश्री पुत्र गिर्राज प्रसाद है। वादिया के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादिया का नाम राजश्री पुत्री गिर्राज प्रसाद दर्ज है। इस बावत् वार्ड पार्षद पिंकी देवी वार्ड नं0 56 नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा लिखा गया है कि मैं राजश्री को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ जो कि रामश्री पुत्री गिर्राज प्रसाद नि0 नीम कोलोनी हिण्डौन की रहने वाली है जिसे मैं भली भांति जानता हूँ। वादिया का राजस्व रिकॉर्ड में हुयी गलती का पता चलने पर दिनांक 15.02.2022 को पटवारी हल्का के पास गयी तो वादिया ने राजस्व गलती से रिकॉर्ड में राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद के स्थान पर राजश्री दर्ज करने का निवेदन किया। तो पटवारी हल्का ने मना कर दिया। वाद वादी तहसीलदार जी हिण्डौन के यहॉ दिनांक 25.02.2022 को तहसीलदारजी हिण्डौन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:40:11 IST
Reason: SelfAttested

यहाँ राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के लिये कहा तो तहसीलदारजी ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है। इस कारण यह दावा बावत् दन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय दावा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 25.02.2022 वादी द्वारा तहसीलदार जी से इन्द्राज दुरूस्ती की कहने से तथा तहसीलदा जी द्वारा सक्षम अदालत से आदेश लाने के बाद ही इन्द्राज दुरूस्ती करने की कहने से बमुकाम हिण्डौन उत्पन्न हुयी है। तथा दावा हाजा दर अवधि पेश है।

बलिहाज पैदा होने दावा सकूनत फरीकेन एवं विवादित आराजी वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन होने से दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बावत् दुरूस्ती डिक्री किया जाकर आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र खाता संख्या नया 392 व पुराना 355 के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का गलत नाम राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद के स्थान पर राजश्री पुत्री गिर्राज प्रसाद दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती फरमायी जावे। राजस्व रिकॉर्ड से राजेश्वरी को हजफ किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 इस हद तक स्वीकार है कि जमाबन्दी संवत 2071–74 खातासंख्या 392 में वादिया का नाम राजेश्वरी पुत्री गिर्राजप्रसाद दर्ज है, शेष तथ्य स्वीकार नहीं हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2, 3 अस्वीकार हैं। जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 ता 8 (अ) (ब) कानूनी हैं।

रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन के अनुसार वादिया द्वारा माननीय न्यायालय में दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया है कि जमाबन्दी कस्बा हिण्डौन संवत 2071–74 खाता संख्या 392 में उसका नाम राजेश्वरी की बजाय राजश्री दर्ज [illegible] अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन ने अंकित किया है कि वादिया द्वा[illegible]करण संख्या 5223 निर्णय दिनांक 21.08.2019 से हकत्याग [illegible] निर्णय दिनांक 05.11.2022 विभाजन राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद के नाम से दर्ज कराया है। इसलिए नाम राजेश्वरी होना रिकॉर्ड अनुसार सही साबित है। राजश्री नाम अंकन शुद्ध कराने बावत् दावा विधि संवत नहीं है। पैरोकार सरकार का जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:10:11 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071—74 खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.17 है0, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पार्षद वार्ड नं0 56 नगर परिषद हिण्डौन का पमाण पत्र, एवं स्वयं का पचास रूपये का नॉनजूडीशियल शपथ पत्र की प्रतियाँ पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2071—74 खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.17 है0, की खातेदारी राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा. ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1548 रकवा 0.17 है0, जो हकत्याग के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही कायम किये जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण एवं हकत्याग में ही आवेदक द्वारा दिनांक 21.08.2019 को राजेश्वरी पुत्री गिर्राज प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा.ग्राम तस्दीक कराने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नं0 1548 रकवा 0.17 है0, स्थित ग्राम कस्बा हिण्डौन, पटवार हल्का हिण्डौन, तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 28.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:10:11 IST
Reason: SelfAttested

28/5/24
(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन